**FORM NO III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- रामाकिशन पुत्र हरजी जाति माली निवासी ग्राम अरांई तहसील अराई जिला अजमेर राज0

–प्रार्थीगण

**बनाम**

- किशना पुत्र गोपी जाति गुर्जर निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– धारा 111,128 भू0राज0अधि0 1956

नंबर 44 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 53

वकील प्रार्थी :– अशोक शर्मा वकील अप्रार्थीगण........................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/06/24 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज. अधि. 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 21/6/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। ...तलबी.... हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते....तलबी....अ.प्रार्थीगण.....हेतु दिनांक 12.7.24. को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 12/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. लाहत्य चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पर्व .................. दिनांक 23/8/24 | |

| | | |
|---|---|---|
| 15/25 | पत्रावली पेश हुई आज ... [illegible] ... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। तहसील रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश हो। | |
| 20/6/25 | पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.। वकील वादी [illegible] डिलीवरी रिपोर्ट पेश ... पत्रावली दिनांक 22/8/25 को पेश हो<br>उपखण्ड अधिकारी<br>अरांई | |
| 22/8/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वकील वादी द्वारा डिलीवरी रिपोर्ट पेश नहीं की। पत्रावली दिनांक 31/10/25 को पेश हो। | |
| 31/10/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। वकील वादी को बार बार अवसर देने पर भी डिलीवरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। पत्रावली अदम तामील [illegible] [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। | |
| 21/11/25 | वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत Restore हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। तथा तामील की रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible]। तामील रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण 1 से 18 प्राप्त। बाबत जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 5/1/26 को पेश हो। | |
| 5/1/26 | पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। | |

# न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अराई जिला अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या— 44 / 2024

रामाकिशन पुत्र हरजी जाति माली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. किशना पुत्र गोपी
2. छोटू पुत्र रतना
3. देवा पुत्र रतना
4. बन्ना पुत्र रतना
5. रामकवरी पत्नी रतना
6. श्रवण पुत्र गोपी
7. हरि पुत्र रतना

सर्वजाति गुर्जर सर्वनिवासीगण ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.

8. गणेश पुत्र पांचुदास
9. छीतर पुत्र पांचुदास
10. बनवारी पुत्र मोहन
11. मंगल पुत्र पांचुदास
12. मुरली पुत्र मोहन
13. शम्भू पुत्र मोहन
14. शान्ति पत्नी पांचुदास
15. संतोक पत्नी मोहन

सर्वजाति साद सर्वनिवासीगण ग्राम शील तहसील अराई जिला अजमेर राज.

16. रामेश्वर पुत्र हरजी जाति माली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई जिला अजमेर राज.
17. प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा अराई जिला अजमेर राज.
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, अराई जिला अजमेर राज.

## निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत

वकील वादी अशोक शर्मा एडवोकेट

दिनांक- 4/2/26

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र वकील श्री अशोक शर्मा द्वारा अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राज0अधि0 1956 के तहत पेश किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 947 पुराना खाता संख्या 896 खसरा संख्या 3282 रकबा 0.9708 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 1105 पुराना 1062 खसरा नं. 3942/3282 रकबा 0.2508 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराईं जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद वदस्तुर खातेदार काश्तकार काविज चला आ रहा है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थी की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 16 की ग्राम अराई स्थित भूमि जो प्रार्थी की कृषि भूमि की चारो दिशा की ओर स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को लेकर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 16 आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में हस्ताक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 आये दिन प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संवंध में विवाद करते रहते है।उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 आये दिन प्रार्थी के साथ उसकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 18 श्रीमान तहसीलदार महोदय अराई के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन किया जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, अराई के आदेश कमांक/भू.अ./सीमाज्ञान/23/111 18.05.2023 की पालना में दिनांक 15.06.2023 को मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थी संख्या 1 से 16 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थी को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।अप्रार्थी संख्या 18 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू–अभिलेख प्रतिनिधि है एंव अप्रार्थी 17 के यहां अप्रार्थीगण की कृषि आराजी रहन है इसलिए सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क चस्पा कर श्रीमान के समक्ष अविलम्ब सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थी की भूमि खाता संख्या नया 947 पुराना खाता संख्या 896 खसरा संख्या 3282 रकवा 0.9708 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 1105 पुराना 1062 खसरा नं. 3942/3282 रकबा 0.2508 हैक्टेयर ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताविक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थी के पक्ष में प्रदान करावें एंव अप्रार्थी संख्या 18 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दिनाक 19.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिश तामिली हेतु भिजवाये गये। तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। बावजुद तामिली के बार बार अवसर देने के बावजूद प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी का जवाब बन्द कर एकपक्षिय कार्यवाही की गई। दिनाक 04.02.2026 को बहस सुनी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गइ। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज0भू0राज0अधि0 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम अराई पटवार हल्का अराई, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराई, तहसील अराईं जिला अजमेर राजस्थान में स्थित भूमि खाता संख्या नया 947 पुराना खाता संख्या 896 खसरा संख्या 3282 रकबा 0.9708 हैक्टेयर व खाता संख्या नया 1105 पुराना 1062 खसरा नं. 3942/3282 रकबा 0.2508 हैक्टेयर का राज0 रिकॉर्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अराई को कमिश्नर फीस 1000/– रू पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फिस 1000/– रू जमा करवाने पर वे मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थी के कब्जानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में तथा राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्तिधीन स्थिति को देखते हुए (एन. एच. में अवाप्तिधीन न हो)उक्त वाद ग्रस्त भूमि का पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी

अराई( अजमेर)